तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
[illegible]	[illegible] .... 45/2022 [illegible] वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में [illegible] प्राप्त होने विधिक विभाजन प्रस्ताव [illegible] तहसीलदार श्रीमाधोपुर पत्रावली [illegible] दिनांक 28-2-2023 को पेश हो। दिलीप सिंह सहायक [illegible] (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
28.2.23	[illegible] पेश हुई। वकुलाय [illegible] [illegible]। पीठासीन अधिकारी दौरे/[illegible] में [illegible]/मीटिंग में है। पत्रावली उचित कार्यवाही हेतु दिनांक 22.5.23 को पेश हो। [illegible]
26/4/05	[illegible] 17/5/23
17.05.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 649 / भू.अ. / 23 दिनांक 06.04.2023 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विभाजन प्रस्ताव कुर्रेराज रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। वकील वादीगण ने प्रकरण में तहसीलदा[illegible] से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात [illegible] वादीगण ने प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से [illegible]कारान् के मध्य हुए पू[illegible] बंटवारा के आधार पर प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट से सहमत होते हुए आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन करते हुए प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:43:06 IST
Reason: SelfAttested

	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	प्रारम्भिक डिक्री से अन्तिम डिक्री जारी की जाती है तो कोई आपत्ति नही होने बाबत पत्रावली की आदेशिका पर अंकित किया है। प्रकरण में दौराने बहस उपस्थित प्रतिवादी अधिवक्ता को सुना गया। जिस पर उपस्थित पक्षकारान् प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए अन्तिम डिक्री जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। वकील वादीगण के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहुपक्षीय सुनी गई। अतः वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति के आधार पर प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायहित में उचित समझता हूँ। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मय विभाजन प्रस्ताव को अंतिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। प्रकरण में निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (दिलीप ...) सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2025.06.21 17:43:06 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला– सीकर राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
35/2022	2022/82	13.04.2022	17.05.2023(अन्तिम डिक्री)

उनवान

1. अमृतलाल पुत्र लादूराम आयु 57 वर्ष
2. सीताराम पुत्र लादूराम आयु 64 वर्ष

समस्त जाति माली निवासीगण ढाणी खरबासन तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

3. **बनारसीलाल पुत्र लादूराम मृत्तक के बजायः–**

3/1. धापली देवी उर्फ धापा पत्नी स्व0 बनारसीलाल आयु 80 वर्ष

3/2. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 बनारसीलाल आयु 50 वर्ष

3/3. कैलाश पुत्र स्व0 बनारसीलाल आयु 40 वर्ष

3/4. किरण देवी पत्नी स्व0 बनारसीलाल आयु 40 वर्ष

समस्त जाति माली निवासीगण ढाणी खरबासवाली तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

वादीगण

बनाम्

1. कबूल कंवर पत्नी तोपसिंह आयु 70 वर्ष
2. जसवंतसिंह पुत्र शिम्भूसिंह आयु 62 वर्ष
3. दुर्गा कंवर पुत्री तोपसिंह
4. बिशनसिंह पुत्र तोपसिंह
5. भंवर कंवर बेवा भैरूसिंह आयु 58 वर्ष

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:43:06 IST
Reason: SelfAttested

17/05/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

6. भूपेन्द्रसिंह पुत्र भैरूसिंह आयु 31 वर्ष
7. दीपीका शेखावत पुत्री भैरूसिंह आयु 26 वर्ष
8. प्रकाश कंवर पुत्री भैरूसिंह आयु 23 वर्ष
9. हेनपाल सिंह पुत्र भैरूसिंह आयु 23 वर्ष
10. सुमन कंवर पुत्री भैरूसिंह
11. सरोज कंवर पुत्री भैरूसिंह
12. मनोहर कंवर पुत्री भैरूसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

13. भागीरथ पुत्र भीखाराम जाति अहिर निवासी मोदयाडी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
14. मीना कंवर पुत्री तोपसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
15. रतन कंवर पत्नी शिम्भूसिंह आयु 64 वर्ष राजपूत निवासी ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
16. राजेन्द्रसिंह पुत्र तोपसिंह आयु 46 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
17. विजयसिंह पुत्र सरदारसिंह यादव जाति यादव निवासी ग्राम खेजरोली तहसील चौमू जिला जयपुर राज0
18. शिम्भूदयाल पुत्र शैतानराम यादव जाति यादव निवासी चक हनुतपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0
19. सीताराम पुत्र भैरूराम यादव जाति यादव निवासी चक हनुतपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0
20. शाखा प्रबन्धक, सैन्ट्रल बैंक ऑफ [illegible] श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:43:06 IST
Reason: SelfAttested

17/05/22

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

21 शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

22 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

प्रतिवादीगण

उपस्थित:–

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री राजेन्द्र बाजिया एड0 प्रतिवादी संख्या 2 व 6 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 22 की ओर से।

वाद पत्र बाबत बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा

(अर्न्तगत धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया है कि वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 3910, 3911, 3912 कुल किता 3 कुल रकबा 2.76 है0 तन् ग्राम दिवराला पटवार हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में स्थित हैं। जिसके 1/6, 1/6, 1/6 हिस्से के वादीगण संख्या 1 ता 3 कुल 1/2 हिस्से के सभी वादीगण काबिज खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। शेष हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार हैं। वादपत्र की उक्त वर्णित भूमियों का मौके पर बाहमी बंटवारा अर्सा करीब 40–45 वर्षो पूर्व हो खातेदारान के मध्य हो गया था। उक्त बंटवारा के अनुसार खसरा नम्बर 3912 रकबा 1.36 है0 सम्पूर्ण वादीगण के हक हिस्से एवं बंटवारे में आयी हुयी हैं तब से उक्त खसरा नम्बर 3912 के हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:43:06 IST
Reason: SelfAttested

17/05/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

पूर्वी पर वादी संख्या 1 अमृतलाल कुल रकबा 0.45333 व हिस्सा मध्य पर वादी संख्या 2 सीताराम कुल रकबा 0.45333 व हिस्सा पश्चिमी तरफ वादी संख्या 3 बनारसीलाल कुल रकबा 0.45333 पर काबिज काश्त हैं। वादीगण ने अपने बंटवारे में आयी हुयी भूमि पर चारो तरफ मिट्टी की डोल कदीमी लगाकर अपने बंटवारे की भूमि खसरा नम्बर 3912 के चारों तरफ से सीमाओं से महदूद कर रखा हैं। वर्तमान में भूमियों की खातेदारी शामलात में दर्ज होने से वादीगण अपनी भूमि का समुचित विकास नहीं कर पा रहे है व सहखातेदारी की आड में आये दिन वाद विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण संयुक्त खातेदारी भूमि का बंटवारा किया जाकर अलग–अलग खातेदारी दर्ज किया जाना आवश्यक हैं। वादीगण ने पूर्व में प्रतिवादीगण को बंटवारा कराने हेतु कहा तो पूर्व में हां करते रहे व टालते रहे परन्तु दिनांक 20.03.2022 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को कहां तो वे आनाकानी करने लग गये व बंटवारे कराने से इन्कार हो गये। इसी कारण मजबूर होकर वादीगण को यह वादपत्र न्यायालय हाजा में पेश करना आवश्यक हुआ हैं। वादीगण वादपत्र की उक्त वर्णित भूमि पर अपने हक हिस्से पर पूर्णतया काबिज काश्त हैं। इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण, वादीगण को उनके बंटवारे की भूमि से महरूम करने पर तत्पर व तैयार हो रहे हैं। जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं हैं। वादीगण अपने बंटवारे में आयी हुयी भूमि की अलग से खातेदारी अपने नाम कराने के विधिक अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण सभी ने आपस में मिलीभगत कर वादीगण को उनके हक हिस्से से जबरन महरूम करने हेतु भूमियों पर जबरन बलात् कब्जा आदि कर भूमियों को दीगर भूमाफिया लोगों को अन्तरण आदि कर भूमियों को खुर्द–बुर्द करने की एहलानियां धमकी दिनांक 20.03.2022 को दी गयी हैं तथा यह भी धमकी दी कि वे शीघ्र ही भूमियों का अन्तरण कर जबरन बलात कब्जा कराकर रहेंगे। कहने व समझाने से प्रतिवादीगण मान नहीं रहे हैं। इसलिये मजबूर होकर वादीगण को यह वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ हैं। वादकारण दिनांक 20.03.2022 को प्रतिवादीगण सभी ने उक्त वर्णित भूमि का बंटवारा कराने से इन्कार होने से पैदा हुआ हैं व लगातार हो रहा हैं। प्रतिवादी ... प्रभूसिंह का देहान्त हो चुका हैं [redacted]। जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 5 ता 12 विधिक वारिस होने से प्रतिवादी/पक्षकार बनाया गया है। वादीगण ने वादपत्र की उक्त वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:43:06 IST
Reason: SelfAttested

21/05/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

कृषि भूमि खसरा नम्बर 3910, 3911, 3912 कुल किता 3 कुल रकबा 2.76 हैक्टर वन
ग्राम रिवराला पटवार हल्का रिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर बाबत पक्षकारान
के मध्य हुये पूर्व बंटवारा अनुसार डिक्री इस आशय की पारित की जावे कि खसरा नम्बर
3912 रकबा 1.36 हैक्टर सम्पूर्ण वादीगण के हक हिस्से एवं बंटवारे में आयी हुयी हैं।
उक्त खसरा नम्बर 3912 के हिस्सा पूर्वी पर वादी संख्या 1 अमृतलाल कुल रकबा
0.45333 व हिस्सा मध्य पर वादी संख्या 2 सीतासम कुल रकबा 0.45333 व हिस्सा
पश्चिमी तरफ वादी संख्या 3 बनारसीलाल कुल रकबा 0.45333 का अलग से बट्टा
नम्बर डाले जाकर अलग–अलग खातेदारी दर्ज की जाकर अलग–अलग लगान कायम
किया जावें। शेष खसरा नम्बरान प्रतिवादीगण के नाम बदस्तूर रखे जाने तथा प्रतिवादीगण
नम्बर 1 ता 19 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किये जाने कि वे वादग्रस्त
अ.राजी कृषि भूमि में वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एवं उपयोग–उपभोग में किसी
प्रकार की मजाहमत पेदा नहीं करें, ना दीगर से करावें। कानूनी बंटवारा करवाना वादीगण
का अधिकार है। इसलिए दावा दायर करना लाजिम आया। दावा वादीगण बहक वादीगण
विरूद्ध प्रतिवादीगण के बंटवारा चाहने एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद
किया जाने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वादीगण द्वारा किया गया हैं।

इस पर वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नम्बर 2 व 6 की ओर से श्री राजेन्द्र बाजिया एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 लगायत 5, 9 लगायत 12 की ओर से आईन्दा पेशी पर वकालतनामा पेश करने बाबत अण्डरटेंकिंग पेश की गई। लेकिन वकील प्रतिवादी श्री बाजिया को दिनांक 28.04.2022 को वकालतनामा पेश करने हेतु अण्डरटेंकिंग पेश किये जाने के उपरान्त कुल आठ अवसर दिये जाने के बावजूद भी वकालतनामा पेश नहीं करने पर तथा शेष प्रतिवादीगण की सम्मन तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो जाने तथा उनकी डाक विभाग की ट्रेंकिंग रिपोर्ट भी पे... ...ने के उपरान्त भी हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 ... 12, 14 लगायत 16, 20 लगायत 22 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही ... में लाई गई। प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:43:06 IST
Reason: SelfAttested

12/05/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

संख्या 13, 17 लगायत 19 की ओर से श्री फूलचन्द शामोता एडवो ने उपस्थित होकर इकबाली जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 6 को जवाब दावा पेश करने हेतु दिनांक 28.04.2022 से लगातार नौ बार अवसर दिये जाने तथा 90 दिवस से अधिक आठ माह का समय दिये जाने के पश्चात् भी जवाब दावा पेश नहीं किये जाने पर वकील प्रतिवादीगण की जवाबदेही बन्द की गई तथा प्रकरण को बहस में लिया गया। प्रकरण में वकील वादीगण ने प्रकरण के तकास्मा से सम्बन्धित होने से वादपत्र में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु वादीगण की ओर से सहमति व्यक्त की। जिस पर उपस्थित प्रतिवादी संख्या 13, 17 व 18 ने हाजिर अदालत होकर प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार करते हुए प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु अपने–अपने हस्ताक्षर अंकित किये गये। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के पक्ष में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमति व्यक्त कर दिये जाने तथा वकील वादीगण द्वारा प्रकरण में पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त कर दिये जाने तथा वादपत्र के बंटवारा से सम्बिन्धित होने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री किये जाने हेतु बहस वकील वादीगण सुनी गई।

वकील वादीगण ने प्रकरण के तकास्मा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रकरण में दिनांक 19.01.2023 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/प–51/ 2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 363/रीडर/2022 दिनांक 20.02.2023 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 649/भू.अ./2023 दिनांक 06.04.20[illegible] के [illegible] पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्राप्त होकर न्यायालय के समक्ष [illegible] श्रीमाधोपुर के मौका पर्चा रिपोर्ट को शामिल पत्रावली की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:43:06 IST
Reason: SelfAttested

[signature] 12/05/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

वादीगण अभिभाषक ने प्रकरण के बटवारा से सम्बन्धित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमने वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। इस आधार पर वादीगण काश्तकारी अधिनियम– 1955 के अन्तर्गत धारा 53 बटवारा का हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान् अपने–अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 के प्रावधानों के अधीन कराये जाने के अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादीगण ने अपनी सहमती प्रकट की है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 19 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 19 के प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–: कियात्मक आदेश :–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बटवारा [illegible] तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी [illegible] 04.2023 में वर्णित विधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:43:06 IST
Reason: SelfAttested

12/05/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:–

वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति :–

क्र. सं.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
1	अमृतलाल पुत्र लादूराम हिस्सा 1/6, कबूलकंवर पत्नि तोफसिंह हिस्सा 1/50, जसवन्तसिंह पुत्र शम्भूसिंह हिस्सा 1/20, दुर्गाकंवर पुत्री तौफसिंह हिस्सा 1/50, बनारसीलाल पुत्र लादूराम हिस्सा 1/6, बिशनसिंह पुत्र तोफसिंह हिस्सा 1/50, भैरूसिंह पुत्र प्रभूसिंह हिस्सा 1/10, भागीरथ पुत्र भीखाराम हिस्सा 167/3450, मीनाकंवर पुत्री तौफसिंह हिस्सा 1/50, रतनकंवर पत्नि शम्भूसिंह हिस्सा 1/20, राजेन्द्रसिंह पुत्र तोफसिंह हिस्सा 1/50, विजयसिंह पुत्र सरदारसिंह हिस्सा 1/20, शिम्भूदयाल पुत्र शैतानराम हिस्सा 89/1725, सीताराम पुत्र भैरूराम हिस्सा 1/20, सीताराम पुत्र लादूराम हिस्सा 1/6	3910 3911 3912	0.6900 0.7100 1.3600	बारानी 1 बारानी 1 बारानी 1	2.65 4.38 8.39
	योग खाता	किता–3	2.7000	—	15.4200

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:43:06 IST
Reason: SelfAttested

17/05/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये मौके के अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव :–

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव					
क्र. स.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
1	अमृतलाल, सीताराम, बनारसीलाल पुत्र लादूराम माली ब0हि0ब0सा0 देह खातेदार	3912 3911/1	1.36 0.02	बारानी–1 बारानी–1	8.39 0.12
	योग खाता	किता–2	1.38	बारानी–1	8.39
2	कबूल कंवर पत्नी तोफसिंह हि0 1/15, दुर्गा कंवर पुत्री तोफसिंह हिस्सा 1/15, बिशनसिंह पुत्र तोफसिंह हिस्सा 1/15, मीनाकंवर पुत्री तोफसिंह हिस्सा 1/15, राजेन्द्र सिंह पुत्र तोफसिंह हिस्सा 1/15, जसवन्तसिंह पुत्र शम्भूसिंह हिस्सा 1/20, रतनकंवर पत्नि शम्भूसिंह हिस्सा 1/20, भैरूसिंह पुत्र प्रभुसिंह हिस्सा 1/10, जाति राजपूत सा0 देह खातेदार नोटः– खातेदार भैरूसिंह पुत्र प्रभुसिंह फौत हो चुके हैं इनके निम्नानुसार वारिसान है– 1. भंवरकंवर पत्नी भैरूसिंह 2. भुपेन्द्रसिंह पुत्र भैरूसिंह 3. डेनपालसिंह पुत्र भैरूसिंह 4. दीपिका पुत्री भैरूसिंह 5. प्रकाशकंवर पुत्री भैरूसिंह 6. सुमनकंवर पुत्री भैरूसिंह 7. सरोजकंवर पुत्री भैरूसिंह 8. मनोहर कंवर पुत्री भैरूसिंह	3911/2 3910/2	0.69 0.14	बारानी 1 बारानी 1	4.38 1.26
	योग खाता	किता–2		बारानी–1	5.64

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:43:06 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव

क्र. सं.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	लगान (रू. में)
1	भागीरथ पुत्र भीखाराम हिस्सा 13/55, विजयसिंह पुत्र सरदार सिंह हिस्सा 14/55, शिम्भूदयाल पुत्र शैतानराम हिस्सा 14/55, सीताराम पुत्र भैरूराम हिस्सा 14/55, जाति अहीर सा0 चक खातेदार	3910/1	0.55	बारानी 1	3.00
	योग खाता	किता–1	0.55	बारानी–1	3.00

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पंत्राक 649/भू.अ./23 दिनांक 06.04.2023 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

17/05/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 17.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:43:06 IST
Reason: SelfAttested

17/05/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)